न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

रेशम कंवर बनाम मंगेज सिंह आदि

किस्म मुकदमा 225 RTA मु. नं. 04 वर्ष 2019

दिनांक	आज्ञा पत्र	
2-1-19	अपील धारा 5 मियाद अधिनियम पर निर्णय सुरक्षित रखते हुये दर्ज की जावें। स्थगन पर वकील अपीलांट को सुना गया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा दावा संख्या 165/2006 मंगेज सिंह बनाम रेशम कंवर लम्बित था इसके साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 252/2008 मंगेज बाई बनाम मंगेज सिंह लम्बित था विचारण न्यायालय में मूलवाद में प्रतिवादी संख्या 01 (वर्तमान अपीलांट) दिनांक 21.08.2006 को जरिये वकील उपस्थित आई है। इसके उपरान्त लगातार उपस्थित रही है। दिनांक 11.11.2013 को दोनों पत्रावलिया उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ को स्थानान्तरित की गई है। दिनांक 17.12.2018 को उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ ने दावा व टी.आई दोनों पत्रावलिया अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की गई है। दिनांक 20.12.2018 को 151 सीपीसी के आवेदन पर उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ द्वारा दावा व टी.आई पुन नम्बर पर लेकर पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा यथावत जारी रखने के आदेश दिये हैं। इस आदेश के विरूद्व प्रतिवादी संख्या 01 रेशम कवर की और से यह अपील प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में दावा टी.आई अदम हाजरी एवं अदम पैरवी मे खारिज होने के उपरान्त धारा 151 सीपीसी के आवेदन पर नम्बर पर लिया गया है जबकि विधिक प्रावधानों के अनुसार दावा व टी.आई आदेश 9 नियम 9 सीपीसी के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत करने पर बाद सुनवाई नम्बर पर लिया जाता है। प्रस्तुत प्रकरण मे मूल वाद में अपीलांट निरन्तर जरिये वकील उपस्थित रही है विचारण न्यायालय ने दावा व टी.आई नम्बर पर लेने से पूर्व, अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नही किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ द्वारा प्रकरण संख्या 252/2008 (192/2018) बउनवानी मंगेजबाई बनाम मंगेज सिंह में पारित विचाराधीन आदेश विधिक प्रावधानों के विपरित एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के प्रथम दृष्टया विरूद्व होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में बाजदावरी एवं स्थगन पर गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। अपीलांट दिनांक 31.01.2019 को उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ के समक्ष उपस्थिति देवें। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। 2/1/19 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	